न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्याः–36 / 18 दायरा 19.05.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड

प्रार्थी......................

बनाम

1. टीकमचंद गुप्ता आ0 रामप्रताप विक्रेता एवं मालिक मैसर्स वासुदेव किराना स्टोर बस स्टेण्ड पनवाड़।
2. नरेश खण्डेलवाल मालिक मैसर्स माही सेल्स 45 गोपाल विहार पुलिस लाईन कोटा।
3. आनन्द प्रकाश पोददार नॉमिनी मैसर्स कुबेर ग्रेन्स एण्ड स्पाइसेज प्रा0लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस 128 / 82 कपाशिरी विपेज न्यू दिल्ली 1100037।

गैर सायलान

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– गैर सायलान स्वंय

–: आदेश :–

दिनांकः– 12.07.18

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं दिनांक 24.10.2013 को खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / पी.एफ.ए. / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 24.02.2018 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिये आदेशो की पालना में मय टीम के मैसर्स वासुदेव किराना स्टोर बस स्टेण्ड पनवाड़ जिला झालावाड़ पहुॅचकर मेरे द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दोरान उक्त संस्थान पर चाय पत्ती (कुबेर चाय गिरी पॉलि पेक) जो कि बेचान के लिये रखी हुई थी। जो कि आम जनता को बैचान की जा रही थी। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य चाय पत्ती (कुबेर चाय गिरी पॉलि पेक) जो दुकान पर अलमारी में 48 पैक रखे हुऐ थे। जो आम जनता को बैचान किया जा रहा था। उसमे मिलावट का संदेह होने चार 8 मूल पैक लेकर जिसकी कीमत विक्रेता को रु 280 /– नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे टीकमचन्द गुप्ता आ. रामप्रताप विक्रेता एवं मालिक मैसर्स वासुदेव किराना स्टोर बस स्टेण्ड पनवाड़। बहसियत मालिक खाद्य पदार्थ चाय पत्ती (कुबेर चाय गिरी पॉलि पेक) ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता टीकमचन्द गुप्ता आ. रामप्रताप विक्रेता एवं मालिक मैसर्स वासुदेव किराना स्टोर बस स्टेण्ड पनवाड़। जिला झालावाड़ (राज.) बहसियत मालिक को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा चाय पत्ती (कुबेर चाय गिरी पॉलि पेक) के मूल पेक पर ही लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–940 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–940 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए.2018/61–63 दिनांक 04.04.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशेलेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 02.04.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड होना पाया गया हैं। जिसकी सूचना विक्रेता को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक 104दिनांक 12.0618 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया । गैर सायलान उपस्थित हुवे बहस उभय पक्ष सुनी गई गैर सायलान द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं भविष्य में ध्यान रखने हेतु अनुरोध किया गया बहस पेरोकार सरकार सुनी गई, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये हे। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ तेल सोया रिफाइण्ड (आम्बूजा हैल्थ) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है, अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुऐ गैर सायलान 1 लगायत 3 प्रत्येक को 5000–5000/– अक्षरे पॉच–पॉच हजार रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावात)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)